Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Deficit Stamp Appeal No.- 83/2023

Mayank Mishra .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents.

Web Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत स्टाम्प अपील वाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के न्यायालय में वाद संख्या–06/2023 में दिनांक–28.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी द्वारा Indian Stamp Act की धारा–47A(6) के अंतर्गत कुल कमी मुद्रांक का 50% राशि Indian Non Judicial Government of Bihar e-stamp Certificate No.- IN-BR-2300019411 दिनांक–02.05.2023 द्वारा जमा की गई है।** अपीलार्थी को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बसंतपुर, थाना सं0–206, अंचल–अररिया, खाता सं0–2438, खेसरा सं0–9546, रकवा–12.600 डी0 भूमि की श्रेणी शाखा सड़क आवासीय एवं खाली भूमि में कुल मो0–37,80,000/– रूपये मूल्यांकन देकर दानपत्र निष्पादित किया गया है। जिला अवर निबंधक, अररिया ने प्रपत्र(A) की कंडिका–11 में उल्लिखित किया है कि दस्तावेजों में वर्णित खेसरा सं0–9546 नगर परिषद्, अररिया में प्रधान सड़क से सटा हुआ है। निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक–5021 दिनांक–18.12.2017 के कंडिका (ख) शहरी क्षेत्र उप कंडिका A के अनुसार यह भूखंड व्यवसायिक श्रेणी की है। जिस आधार पर संपत्ति का कुल मूल्य 75,60,000/– रूपये प्रस्तावित है। जिसपर मो0–6,04,800/– रूपये का मुद्रांक प्रभार्य होता है। क्रेता द्वारा मो0–3,02,400/– रूपये का मुद्रांक चुकाया गया है। शेष कमी मुद्रांक 3,02,400/– रूपये एवं इसपर 10% अर्थदंड मो0–30,240/– रूपये अधिरोपित करते हुए कुल कमी मुद्रांक 3,32,640/– रूपये जमा करने का सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा आदेश पारित किया गया है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत मामले का विचारण सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल,	

पूर्णिया के क्षेत्राधिकार से परे है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी अपीलार्थी के कथनों का समर्थन किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया

क्रमशः

लगातार
29.11.2023

प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश को क्षेत्राधिकार से परे एवं विधि विरूद्ध पाते हुए निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले के गुण–दोष (Merit) पर बिना विचार किये Indian Stamp Act की धारा 47A(3) "The Collector may suo motu within two years from the date of registration of such instrument not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value of the property which is the subject matter of such instrument and the duty payable thereon and if, after such examination, he has reason to believe that the market value of such property, has not been rightly set forth in the instruement, [1][or is less than even the minimum value determined in accordance with any rules made under this Act] he may determine the market value of such property and the duty as aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2). The difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty:" के अंतर्गत समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विधिसम्मत् मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करने हेतु विप्रेषित (Remand) किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 47A(6) के अंतर्गत जमा की गई 50% राशि समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश के आलोक में विमुक्त/समायोजित की जायेगी।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को भेजते हुए आदेश की प्रति समाहर्त्ता, अररिया सहित जिला अवर निबंधक, अररिया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.